



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112021-231068
CG-DL-E-12112021-231068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]
No. 645]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

सं. 67/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 794(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक” जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 9017 80 10 या 9017 90 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर के तहत दिनांक 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ‘स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक’ के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सर्कम्बेनशन के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 07/36/2020-डीजीटीआर, दिनांक 21 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस बात को निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक' पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को सिंगापुर और कम्बोडिया (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक' जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 9017 80 10 या 9017 90 00 के अंतर्गत आते हैं, के भारत में होने वाले आयात पर भी लगाया जाना जरूरी है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/36/2020-डीजीटीआर, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के मामले में व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन देखने में आया है;
- (ii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु का आयात बहुत ही कम मूल्य पर हो रहा है;
- (iii) विषयगत देशों से हो रहे विषयगत वस्तु के आयात का चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन उपायों का उपचारात्मक प्रभाव कम हो गया है;

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक' पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जिनकी विशिष्टता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

2	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
3	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
4	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
5	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
6	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कंबोडिया	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
7	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
8	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
9	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
10	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पाटर्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
11	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग	कंबोडिया	कंबोडिया से भिन्न	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

			टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक		कोई भी देश				
12	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कंबोडिया	कोई भी	2.56	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और उपर्युक्त अधिसूचना संख्या - 17/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 जुलाई 2020, जिसे सा.का.नि. 433 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक पर लगाए गए उक्त प्रतिपादन शुल्क के सहअवसानिक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) होगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/7/2021-टीआरयू सेक्शन-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

No. 67/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 794(E).—Whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of ‘Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components’ falling under the tariff item 9017 80 10 or 9017 90 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People’s Republic of China, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 7/24/2019-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th June 2020, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components, originating in or exported from People’s Republic of China;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of ‘Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components’, originating in or exported from People’s Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2020-Customs (ADD), dated the 8th July, 2020, published *vide* G.S.R. number 433(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th July, 2020;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No.07/36/2020-DGTR, dated the 21st September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 21st September, 2020, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components’ originating in or exported from People’s Republic of China, had initiated an investigation to determine the need for extending the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Steel and Fibre Glass Measuring

Tapes and their parts and components', originating in or exported from People's Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2020-Customs (ADD), dated the 8th July, 2020, published *vide* G.S.R. 433(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 8th July, 2020, to the imports of 'Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components' (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under the tariff item 9017 80 10 or 9017 90 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from Singapore and Cambodia (hereinafter referred to as the subject countries) into India;

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 07/36/2020-DGTR, dated the 3rd September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there has been a change in pattern of trade in case of subject goods from the subject countries;
- (ii) imports of subject goods from the subject countries are being done at dumped prices;
- (iii) the import of subject goods from the subject countries has undermined the remedial effect of existing anti-dumping measure on the imports of the subject goods originating in or exported from People's Republic of China,

and has recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of 'Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components', originating in or exported from People's Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2020-Customs (ADD), dated the 8th July, 2020, published *vide* G.S.R. 433(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th July, 2020, on the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.No.	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and components thereof	Singapore	Singapore	Any	1.83	Kg.	US \$
2	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and components thereof	Singapore	Any other than Singapore	Any	1.83	Kg.	US \$
3	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and components thereof	Any other than Singapore	Singapore	Any	1.83	Kg.	US \$
4	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and components thereof	Cambodia	Cambodia	Any	1.83	Kg.	US \$
5	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and components thereof	Cambodia	Any other than Cambodia	Any	1.83	Kg.	US \$
6	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel tapes and parts and	Any other than	Cambodia	Any	1.83	Kg.	US \$

			components thereof	Cambodia					
7	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Singapore	Singapore	Any	2.56	Kg.	US \$
8	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Singapore	Any other than Singapore	Any	2.56	Kg.	US \$
9	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Any other than Singapore	Singapore	Any	2.56	Kg.	US \$
10	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Cambodia	Cambodia	Any	2.56	Kg.	US \$
11	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Cambodia	Any other than Cambodia	Any	2.56	Kg.	US \$
12	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre Glass tapes and parts and components thereof	Any other than Cambodia	Cambodia	Any	2.56	Kg.	US \$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be co-terminus with the anti-dumping duty on Steel and Fibre Glass Measuring Tapes and their parts and components as levied *vide* aforesaid notification No. 17/2020-Customs (ADD), dated the 8th July, 2020, published *vide* G.S.R. 433(E), dated the 8th July, 2020 (unless revoked, superseded or amended earlier) and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190349/7/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.